We value our Employee
We care about our Pensioners

Office of Principal CCA, Delhi Region
Holds
PENSION ADALAT
On
28.06.2019 (Friday) At 11.00 A.M

Pension Adalat will be held on 28.06.2019 (Friday) at 11.00 AM at the O/o Pr. CCA, DoT Building, Prasad Nagar, New Delhi-110005. Telecom Pensioners/Family Pensioners whose PPOs/FPPO have been issued by AO (Pension), Delhi Region or who are drawing pension from Pension Disbursing Authorities (Banks/Post etc.) in Delhi Region are requested to forward their pension related grievance, if any to AO (Pension) O/o Pr. CCA, DoT Building, Near Fire Station, Prasad Nagar, New Delhi in two copies containing all relevant details viz. name & designation of the pensioner/Family pensioner, date of retirement/death, Name & address of the unit office where last served, PPO/FPPO Number, Name and address of pension disbursing authority (Bank/Post), current corresponding address and contact number etc. along-with full details of their grievance.

Note:-

1. If you are a Telecom Pensioner/Telecom Family Pensioner of above mentioned category and have any kind of pension/family pension related grievance, please send your representation in two copies to above mentioned officer latest by 20.06.2019.
2. Cases involving purely legal points eg. Succession etc. and the grievance involving policy matter cannot be taken up in the Adalat.
3. For more details visit at our office website : www.Prccadelhi.gov.in
4. Telephone No. 011-25729702, 25729703 & Toll Free No. 1800118119

हम अपने कर्मचारियों को महत्व देते है

हम अपने पेंशनभोगियों की चिंता करते है

कार्यालय प्रधान नियंत्रक, संचार लेखा, दिल्ली क्षेत्र

द्वारा दूरसंचार पेंशनभोगियों के लिए

पेंशन अदालत का आयोजन

28.06.2019 (शुक्रवार) को पूर्वाह्न 11.00 बजे

जिन दूरसंचार पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान आदेश (PPO) इस कार्यालय द्वारा निर्गत/अधिकृत अथवा जारी किया गया है तथा जो दिल्ली क्षेत्र में स्थित बैंक/डाकघर/प्रधान लेखा कार्यालय आदि से पेंशन ले रहे है, वे अपनी पेंशन सम्बन्धी शिकायतें, यदि कोई हो तो, लेखाधिकारी, पेंशन कार्यालय प्रधान नियंत्रक संचार लेखा, नई दिल्ली के पास निर्धारित प्रपत्र में विवरण भरकर 20.06.2019 तक आवश्यक रूप से भेज दें I

निर्धारित प्रपत्र में पेंशनभोगी/पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम, पदनाम, सेवानिवति की तिथि, पेंशन भुगतान आदेश संख्या (PPO No.), अंतिम सेवा कार्यालय, पता, पेंशन, संवितरण अधिकारी जहां से पेंशन प्राप्त कर रहे है उस बैंक/डाकघर अथवा कार्यालय का संपर्क नम्बर आदि अवश्य दें I

निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाली शिकायतों पर इस पेंशन अदालत में विचार नही किया जाएगा किन्तु उन शिकायतों को सामान्य की तरह देखा जाएगा I

निर्धारित संलग्न प्रपत्र पूर्ण विवरण सहित दो प्रतियों में अग्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है I जिन शिकायतों का निवारण दिनांक 27.06.2019 तक हो जाता है उन पेंशनभोगियों को यथोचित सूचना भेज दी जाएगी फिर उन्हें इस अदालत में आने की आवश्यकता नही है I

अदालत में मूलत: उन शिकायतों पर ही विचार किया जाएगा जो काफी समय से लम्बित हैं I

जिन व्यक्तियों को इस कार्यालय द्वारा पेंशन भुगतान आदेश (PPO) जारी नही किया गया है, वो कृपया इस अदालत में आने का कष्ट ना करें I

जो विषय नीतिगत मामलों से संबंधित है तथा इस कार्यालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है, उन मामलों में इस अदालत द्वारा विचार नही किया जाएगा I

निर्धारित प्रपत्र इस कार्यालय की वेबसाइट www.prccadelhi.gov.inसे प्राप्त किया जा सकता है अथवा इस कार्यालय के लेखाधिकारी (पेंशन) से भी प्राप्त किया जा सकता है I